



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 978]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2007/श्रावण 17, 1929

No. 978]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2007/SRAVANA 17, 1929

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2007

का.आ. 1380(अ).—केन्द्रीय सरकार, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 1 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर, उक्त उप-धारा के उपबंधों के अधीन यथापरिकल्पित अनुसार, उक्त उप-धारा में संदर्भित मजदूरी को दस हजार रुपये प्रति मास करती है।

[फा. सं. एस-31018/3/2007-डब्ल्यू सी]

हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2007

S.O. 1380(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 1 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Central Government hereby specifies, on the basis of figures of the Consumer Expenditure Survey published by the National Sample Survey Organisation, as it has been envisaged under the provisions of the said sub-section, the wages referred to in the above said Sub-section as ten thousand rupees per month.

[F.No. S-31018/3/2007-WC]

HARSHARAN SINGH, Dy. Director General